

# उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

दिनांक: 24-07-2023

## नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में न्यायालय के वाहन यथा— महेन्द्रा बोलेरो कैम्पर संख्या **UK-04GA/0150** (माडल: SC4WD) व मारुति (**SX4**) संख्या **UK-04GA/0148** (मॉडल 2012) जो न्यायालय परिसर में जहां हैं, जैसी हैं, की नीलामी खुली बोली की प्रक्रिया द्वारा दिनांक **10.08.2023** को दोपहर 12:30 बजे से की जाएगी।

वाहनों का अवलोकन उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में किया जा सकता है। नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के रोकड़ अनुभाग में प्रत्येक वाहन के लिए अलग—अलग रु.5,590/- (रु.5,000/- रिफन्डेबल तथा रु.590/- नॉन-रिफन्डेबल शुल्क) की जमानत धनराशि, दिनांक **10.08.2023** की प्रातः 11:30 बजे तक या उससे पूर्व जमा करनी होगी। विवरण उच्च न्यायालय की वैबसाइट [www.hightcourtofuttarakhand.gov.in](http://www.hightcourtofuttarakhand.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

-Sd-  
महानिबन्धक  
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

# उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

दिनांक: 24-07-2023

## नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में न्यायालय के वाहन यथा— महेन्द्रा बोलेरो कैम्पर संख्या **UK-04GA/0150** (माडल: SC4WD) व मारुति (**SX4**) संख्या **UK-04GA/0148** (मॉडल 2012) जो न्यायालय परिसर में जहां हैं, जैसी हैं, की नीलामी खुली बोली की प्रक्रिया द्वारा दिनांक **10.08.2023** को दोपहर 12:30 बजे से की जाएगी।

वाहनों का अवलोकन उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में किया जा सकता है। नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के रोकड़ अनुभाग में प्रत्येक वाहन के लिए अलग—अलग रु.5,590/- (रु.5,000/- रिफन्डेबल तथा रु.590/- नॉन-रिफन्डेबल शुल्क) की जमानत धनराशि, दिनांक **10.08.2023** की प्रातः 11:30 बजे तक या उससे पूर्व जमा करनी होगी। विवरण उच्च न्यायालय की वैबसाइट [www.hightcourtofuttarakhand.gov.in](http://www.hightcourtofuttarakhand.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

-Sd-  
महानिबन्धक  
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

प्रतिलिपि निम्न को इस आषय से प्रेषित कि वे अपने नोटिस बोर्ड पर इसे वृहद् प्रचार हेतु चर्चा करें :—

1. जिला न्यायाधीश, नैनीताल।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. जिलासूचना अधिकारी, नैनीताल।
5. अधिशाशी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नैनीताल।
6. लोक निर्माण विभाग, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
7. न्यायालय के नोटिस बोर्ड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चर्चा करने हेतु।

व्यवस्थाधिकारी  
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

## नियम एवं शर्तें

1. नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के रोकड़ अनुभाग में प्रत्येक वाहन के लिए अलग-अलग ₹5,590/- (₹5,000/- रिफन्डेबल तथा ₹590/- नॉन-रिफन्डेबल शुल्क) की जमानत धनराशि, दिनांक **10.08.2023** की प्रातः 11:30 बजे तक या उससे पूर्व जमा करनी होगी। बिना जमानत धनराशि जमा कराए, नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
2. जमानत धनराशि जमा करने हेतु प्रपत्र उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के रोकड़ अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। उक्त प्रपत्र उच्च न्यायालय की वैबसाइट [www.hightcourt oftuttarakhand.gov.in](http://www.hightcourt oftuttarakhand.gov.in) में भी उपलब्ध है।
3. वाहन का अवलोकन उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में किया जा सकता है।
4. नीलामी उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में खुली बोली की प्रक्रिया द्वारा दिनांक **10.08.2023** को दोपहर 12:30 बजे से की जाएगी।
5. माननीय उच्च न्यायालय को बिना कारण बताए, नीलामी की तिथि में परिवर्तन करने तथा समस्त नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. असफल बोलीदाताओं को ₹5,000/- की धनराशि का भुगतान उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के रोकड़ अनुभाग द्वारा उसी दिन कर दिया जाएगा। सफल निविदा दाता की ₹5,000/- की धनराशि, निविदा की समस्त धनराशि जमा करने तथा सामान को उठावाने के उपरान्त ही वापस की जाएगी।
7. सफल निविदा दाता को उसके द्वारा लगाये गए मूल्य के अतिरिक्त सम्बन्धित टैक्स (जैसा लागू हो) भी देना होगा। तथा सामान उठाने से पूर्व स्वयं के पहचान-पत्र की फोटोकॉपी तथा एक फोटो जमा कराना होगा।
8. नीलामी प्रक्रिया निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम बोली लगाने वाले को नीलामी में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
9. वाहन को निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य पर किसी भी दशा में नीलाम नहीं किया जायेगा। उच्चतम नीलामी मूल्य को भी निरस्त करने का अधिकार विभागाध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगा।
10. समिति द्वारा स्वीकार किया गया नीलामी मूल्य तभी अन्तिम माना जायेगा जब विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कर लिया जाये।
11. माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा स्वीकार किये गये नीलामी मूल्य के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
12. अधिकतम बोलीदाता को अधिकतम बोली का 25 प्रतिशत अग्रिम धन (₹0एम0डी0) के रूप में उसी समय नकद जमा करना होगा व शेष धनराशि को सात दिन के अन्दर नकद जमा करना होगा।

13. यदि सफल बोलीदाता उपरोक्त समय (7 दिन) के अन्तर्गत शेष धनराशि को जमा नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा की गयी जमानत राशि और अग्रिम धनराशि (ई0एम0डी0) को जब्त कर लिया जायेगा।
14. नीलाम वाहन को अधिकतम बोलीदाता द्वारा पूर्ण धनराशि जमा करने के पश्चात 24 घंटे के भीतर ले जाना होगा।
15. बोली लगाने वाले व्यक्ति/फर्म का स्वयं उत्तरदायित्व होगा कि जमानत धनराशी जमा करने से पूर्व नीलाम किये जाने वाले वाहनों का सम्पर्क रूप से निरीक्षण/परीक्षण कर ले। निरीक्षण/परीक्षण का अर्थ वाहन को चलाकर दिखाना या चलाकर देखने देना, कदापि नहीं होगा।
16. नीलामी के दौरान नियमों व शर्तों का उल्लंघन करने पर बोली दाता को नीलामी से निष्कासित किया जा सकता है तथा नियम व शर्तों का उल्लंघन एवं अनुशासनहीनता करने पर कार्यवाही करने का अधिकार नीलामी समिति का होगा।
17. वाहन को जो न्यायालय परिसर में जहां है, जैसी है, वैसी ही स्थिति में नीलाम किया जायेगा।
18. यदि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के संज्ञान में यह बात आती है कि बोलीदाताओं ने आपस में गिरोह बना लिया है या कोई सांठ-गांठ कर रखी है और वाहन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में नीलामी निरस्त/स्थगित की जा सकती है।
19. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी कानूनी वाद का अधिकार क्षेत्र नैनीताल स्थित सक्षम न्यायालय होगा।
20. उपरोक्त नीलामी वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड V (भाग 1) परिशिष्ट-19-घ में उल्लेखित नियम के अधीन सम्पन्न होगी।

-Sd-  
 महानिबन्धक  
 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

## फॉर्म—1

● वाहन संख्या:— महेन्द्रा बोलेरो कैम्पर संख्या: यू० ०४ GA/0150

(मॉडल. SC 4 WD )


● व्यक्ति / फर्म का नाम:— .....

● पूरा पता:— .....

.....

● मोबाइल / फोन नम्बर:— .....

● फोटो:—



● सुरक्षा धनराषी रु.5,590/- (रु.5,000/- रिफन्डेबल तथा रु.590/- नॉन-रिफन्डेबल शुल्क) को रोकड़ अनुभाग में जमा करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर:—

.....

स्थान:—

दिनांक:—

व्यक्ति / फर्म के हस्ताक्षर

## फार्म-1


● वाहन संख्या:- मारुति (SX4) संख्या यू.के.04 GA / 0148  
(माडल: 2012)

● व्यक्ति / फर्म का नाम:- .....

● पूरा पता:-  
.....  
.....

● मोबाइल / फोन नम्बर:- .....

● फोटो:-



● सुरक्षा धनराशी रु.5,590/- (रु.5,000/- रिफन्डेबल तथा रु.590/- नॉन-रिफन्डेबल शुल्क) को रोकड़ अनुभाग में जमा करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर:-  
.....

स्थान:-

दिनांक:-

व्यक्ति / फर्म के हस्ताक्षर